F.No.- CSU-LKO/2023-2024/Dir/01/
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर
विशाल खण्ड–04, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
☏ 0522.2393748, Email- director-lucknow@csu.co.in
Website: - http://www.csu-lucknow.edu.in

दिनांक– 06.04.2023

कार्यालय आदेश – 3

दिनांक 03.04.2023 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा परिसर निरीक्षण के दौरान श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों का एक दल माननीय कुलपति महोदय से मिला और प्रतिदिन सायं 7:00 बजे तक तथा शनिवार और रविवार को भी परिसर में आकर खेलने की अनुमति मांगी।

इस सन्दर्भ में माननीय कुलपति महोदय से मौखिक विचार–विमर्श हुआ तद्नुसार निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं।

1. श्रीमती ज्योति सिंह के लिए शनिवार एवं रविवार कार्यदिवस माने जायेंगे और उनके बदले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
2. श्री अञ्जनी कुमार पुण्डरीक सोमवार से शुक्रवार तक परिसर में उपस्थित रहेंगे।
3. उपरिलिखित दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दोनों एक साथ अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
4. सभी कार्यदिवसों में एवं अवकाश के दिनों में आपसी सहमति से दोनों में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. कार्यदिवसों में या अवकाश के दिनों में ग्रीष्मकाल में पूर्वाह्न 6:00 बजे से 9:00 बजे तक उपरिलिखित दोनों में से एक की उपस्थिति क्रीडांगन में और दूसरे की उपस्थिति जिम में अनिवार्य रूप से रहेगी।
6. अपराह्ण में 2:00 बजे से 7:00 बजे तक परिसर में उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें 4:00 बजे से 7:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कोई एक व्यक्ति जिम में और दूसरा व्यक्ति क्रीडांगन में उपलब्ध रहेंगे।,
7. बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रातः 6:00 बजे, 9:00 बजे, 2:00 बजे, 7:00 बजे में दर्ज हुआ करेगी। मुख्य भवन बन्द रहने की स्थिति में मुख्य भवन के द्वार पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी को कहकर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं रहने की स्थिति में उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
8. विशेष रूप से सायंकाल में 7:00 बजे के बाद छात्र क्रीडांगन में नहीं रहेंगे। इसे क्रीड़ा एवं योग शिक्षक सुनिश्चित करेंगे। क्रीडांगन में खेल के समय केवल परिसर के छात्र ही रहेंगे। खेलने वाले छात्र के पास परिसर के परिचय–पत्र होना अनिवार्य होगा। परिसर के बाहर के छात्र को खेलते हुये पाये जाने पर उपस्थित क्रीडा शिक्षक एवं योग शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. खेल सामग्री क्रय करने हेतु तत्काल प्रभाव से रु. 60,000/– व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका व्यय करने हेतु प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन अनिवार्य होगा। व्यय नियमानुसार होंगे यह सुनिश्चित करना होगा।

(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1 श्रीमती ज्योति सिंह, शारीरिक शिक्षा, अतिथि सङ्काय को सूचनार्थ
2 डॉ. अञ्जनी कुमार पुण्डरीक, योग, अतिथि सङ्काय को सूचनार्थ
3 कार्यालय आदेश सञ्चिका
4 सम्बद्ध सञ्चिका के लिए डॉ. काशीनाथ द्विवेदी, सहायक
5 व्यक्तिगत सञ्चिका
6 वेबसाइट पर अपलोड हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
7 सभी सुरक्षाकर्मी को सूचनार्थ
8 लेखा स्थानीय
9 निदेशक कार्यालय प्रति

निदेशक